Samyak
An Institute For Civil Services

THINK IAS

JOIN SAMYAK

Samyak
An Institute For Civil Services

# DAILY

# CURRENT नामा

## 9 अगस्त

9875170111

SAMYAK IAS, NEAR RIDDHI-SIDDHI, JAIPUR

# अंटार्कटिका में भीषण शीत ऋतु में गर्म लहरों का कारण क्या है, और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं?

***पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता*** – *सामान्य अध्ययन-III: पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।*

## ***सुर्खियों में क्यों ?***

- *अंटार्कटिका में भीषण सर्दी के दौरान अभूतपूर्व हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण बर्फीले महाद्वीप का तापमान सामान्य से काफी अधिक है। इस घटना ने वैज्ञानिकों को चिंतित कर दिया है और वैश्विक जलवायु प्रणाली पर इसके संभावित प्रभावों के बारे में चिंता जताई है।*
- *वैश्विक प्रभाव: हीट वेव के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिसमें तेजी से बर्फ पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना और वैश्विक महासागर परिसंचरण में व्यवधान शामिल हैं।*

## ***पृष्ठभूमि एवं प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य***

**गर्मी के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं**

***ध्रुवीय भंवर का कमजोर होना***

*ध्रुवीय भंवर आमतौर पर मजबूत रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान स्थिर रहता है। यह अंटार्कटिका के ऊपर ठंडी हवा को फँसाए रखता है और गर्म हवा को अंदर नहीं आने देता है लेकिन यह विक्षुब्ध हो गया है। इसके कारण, भंवर ने फंसी हुई ठंडी हवा को छोड़ दिया, और क्षेत्र में गर्म हवा के प्रवेश के लिए द्वार खोल दिया।*

***कमजोर दक्षिणी गोलार्ध भंवर***

*एक दुर्लभ घटना जिसके औसतन हर दो दशक में एक बार घटित होने की उम्मीद है*

***समुद्री बर्फ की मात्रा में कमी***

1. *समुद्री बर्फ सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है और ठंडी हवा और गर्म समुद्री पानी के बीच अवरोध के रूप में कार्य करती है, जो कम तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।*
2. *वर्तमान में: जून में, अंटार्कटिक समुद्री बर्फ की मात्रा उस महीने के लिए अब तक की दूसरी सबसे कम दर्ज की गई, जो जून 2023 के रिकॉर्ड निम्नतम से थोड़ा ऊपर थी।*

***ग्लोबल वार्मिंग***

1. *अंटार्कटिका पर प्रभाव: महाद्वीप वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी गति से गर्म हो रहा है, तापमान में प्रति दशक 0.22 से 0.32 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है।*
2. *तुलना: वैश्विक तापमान वृद्धि दर प्रति दशक 0.14 से 0.18 डिग्री सेल्सियस है, जो अंटार्कटिका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की गंभीरता को उजागर करती है।*

- ***ध्रुवीय भंवर क्या है?***
  - *ध्रुवीय भंवर पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के आसपास कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र है।*
  - *"भंवर" शब्द हवा के वामावर्त प्रवाह को संदर्भित करता है जो ध्रुवों के पास ठंडी हवा को बनाए रखने में मदद करता है।*
  - *यह हमेशा ध्रुवों के पास मौजूद रहता है, लेकिन गर्मियों में कमजोर हो जाता है और सर्दियों में मजबूत हो जाता है।*
  - *हालांकि, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान कई बार ध्रुवीय भंवर फैल जाता है, जिससे ठंडी हवा दक्षिण की ओर चली जाती है।*

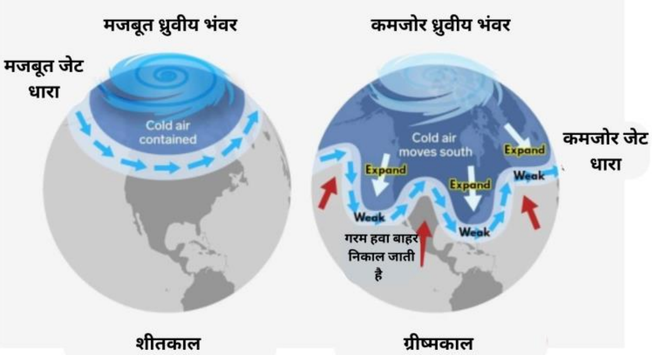

## मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

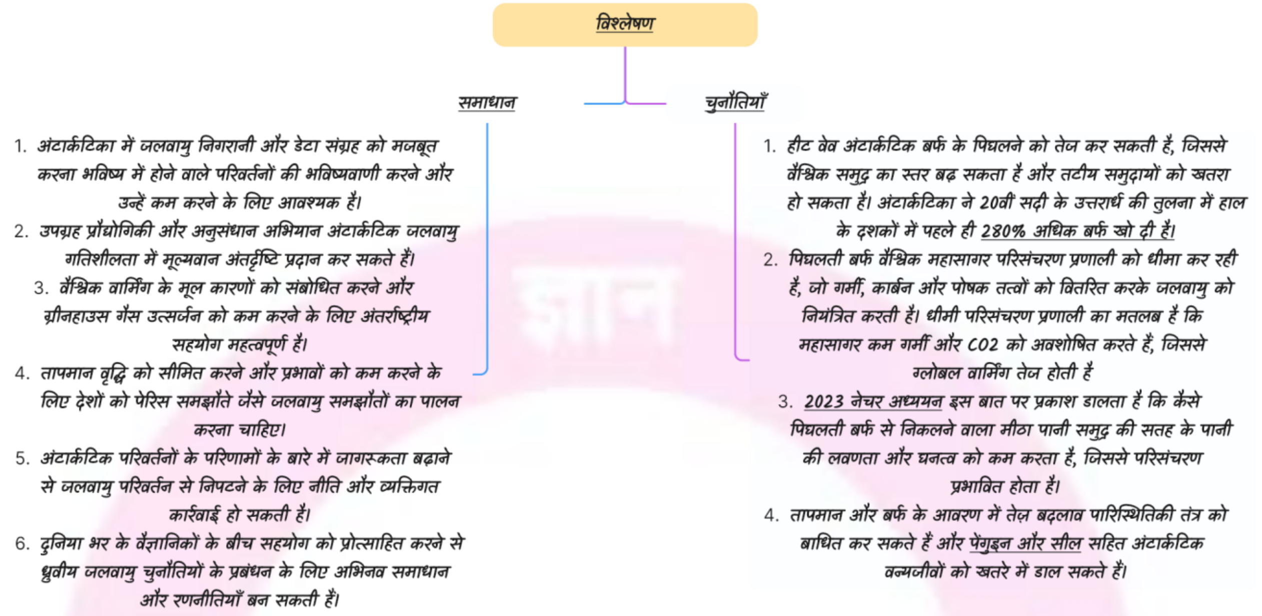


---

### प्रारंभिक परीक्षा 2010 से प्रश्न

प्र. वर्तमान में और निकट भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भारत की संभावित सीमाएँ क्या हैं?

1. **उपयुक्त वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।**
2. **भारत अनुसंधान और विकास में भारी धनराशि निवेश नहीं कर सकता।**
3. **कई विकसित देशों ने पहले ही भारत में अपने प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित कर लिए हैं।**

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) **केवल 1 और 2**
b) **केवल 2**
c) **केवल 1 और 3**
d) **1, 2 और 3**

---

## प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक 2024

**पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता** - सामान्य अध्ययन-II: राजव्यवस्था

### सुर्खियों में क्यों ?

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने हाल ही में प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक 2024 का मसौदा संस्करण उद्योग के कुछ हितधारकों के बीच प्रसारित किया।
- इस विधेयक ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफार्मों पर समाचार सामग्री के स्वतंत्र रचनाकारों के लिए विस्तारित विनियमन का प्रस्ताव दिया है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

## पृष्ठभूमि एवं प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य

### विधेयक के पीछे उद्देश्य और मंशा:

इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान में पारंपरिक टेलीविजन और रेडियो पर लागू विनियमों को इंटरनेट तक विस्तारित करना है, और इसे मौजूदा दिशा-निर्देशों को समेकित करने और प्रसारकों के बीच जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह सभी बड़े प्रभावशाली लोगों, सामग्री निर्माताओं और राजनीतिक टिप्पणीकारों को कवर करता है, और भाषण को विनियमित करने का प्रयास करता है।

इसी कारण यह विधेयक रचनात्मक स्वतंत्रता को काफी हद तक कमजोर कर सकता है और भारत में अभिव्यक्ति की ऑनलाइन स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है, जो दोनों ही एक अच्छी तरह से काम करने वाले और जीवंत लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

### विधेयक के प्रमुख प्रावधान

**प्रसारक" शब्द की पुनक्रल्पना:**

"प्रसारक" शब्द की पुनक्रल्पना: डिजिटल समाचार प्रसारकों को शामिल करने के लिए, उन्हें ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो "व्यवस्थित रूप से" समाचार और समसामयिक मामलों को ऑनलाइन प्रसारित करता है, जिसमें टेक्स्ट, वीडियो या ऑडियो के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। इसका मतलब है कि यूट्यूब, ट्विटर, ब्लॉगिंग पोर्टल या पॉडकास्ट पर समसामयिक मामलों और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने वाले टिप्पणीकार सभी इस विधेयक के अंतर्गत आएंगे।

**डिजिटल समाचार प्रसारकों के लिए प्रावधान**

1. इन प्रसारकों को सरकार को सूचित करना होगा
2. कार्यक्रम संहिता का अनुपालन करना होगा
3. शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा
4. तीन-स्तरीय नियामक संरचना का पालन करना होगा।
5. समसामयिक विषयों के अलावा अन्य सामग्री के लिए, प्रसारकों को सामग्री मूल्यांकन समिति द्वारा पूर्व-प्रमाणन प्राप्त करना भी आवश्यक है।

**दंड प्रावधान**

विधेयक उपयोगकर्ताओं को कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है, और केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है -

1. वह जुर्माना लगा सकती है
2. प्रसारकों को प्रसारण बंद करने का निर्देश दे सकती है और
3. संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता या विदेशी संबंधों के हित में प्रसारण पर रोक लगाना।

**वैश्विक सामग्री निर्माता**

वर्तमान मसौदा संभावित रूप से वैश्विक सामग्री निर्माताओं, समाचार प्रकाशकों और समसामयिक विषयों के टिप्पणीकारों को विधेयक के दायरे में लाता है।

## मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

### प्रावधानों से संबंधित मुद्दे

- ***प्रेस स्वतंत्रता पर प्रभाव:*** डिजिटल समाचार प्रसारकों के लिए विधेयक की व्यापक परिभाषाएँ और आवश्यकताएँ स्वतंत्र पत्रकारिता को बाधित कर सकती हैं और प्रेस स्वतंत्रता को सीमित कर सकती हैं।
- ***अस्पष्टता पर चिंताएँ:*** काफी शब्द जैसे "व्यवस्थित गतिविधि" को अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जो संभावित रूप से मनमाने ढंग से प्रवर्तन और नियंत्रण की अनुमति देता है।
- ***व्यक्तिगत रचनाकारों पर प्रभाव:*** व्यक्तिगत रचनाकारों को शामिल करके, विधेयक छोटे सामग्री उत्पादकों पर अनुचित बोझ डाल सकता है, जिससे नवाचार और अभिव्यक्ति में बाधा आ सकती है।

- ***टीवी के समान नियम:*** यह लागू करने से, छोटे पैमाने के कंटेंट क्रिएटर और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। वहीं पर बाजार तक पहुँचने की गति कम हो सकती है। इससे गंभीर सेंसरशिप हो सकती है और मुक्त भाषण पर एक भयावह प्रभाव पड़ सकता है।
- ***प्रवर्तन जटिलता:*** विदेशी रचनाकारों और प्लेटफ़ॉर्म पर भारतीय विनियमन लागू करना तार्किक चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ टकराव का कारण बन सकता है। अलग-अलग कानूनी ढाँचों और अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को देखते हुए, विदेशी रचनाकारों पर अनुपालन लागू करना मुश्किल साबित हो सकता है।
- ***एक ही मामले पर पहले से कानून मौजूद होना*** : आईटी अधिनियम 2000 और आईटी नियम पहले से ही सोशल मीडिया मध्यस्थों को शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने, सरकारी आदेशों का पालन करने और फ़्लैग की गई सामग्री के लिए नोटिस-और-टेकडाउन व्यवस्था संचालित करने के बारे में बात करते हैं।

***समाधान***

- ***स्पष्ट परिभाषाएँ और दिशा-निर्देश:*** सरकार को परिभाषाओं को परिष्कृत करना चाहिए और सुसंगत अनुप्रयोग सुनिश्चित करने और अस्पष्टता को कम करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करने चाहिए।
- ***नीति स्पष्टता:*** प्रमुख शर्तों और मानदंडों को स्पष्ट करने से मनमाने ढंग से लागू करने में कमी आ सकती है और विनियामक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ सकती है।
- ***हितधारक जुड़ाव:*** क्रिएटर और प्लेटफ़ॉर्म सहित उद्योग के हितधारकों को मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल करने से अधिक संतुलित और प्रभावी विनियमन हो सकते हैं।
- ***विनियमन और नवाचार को संतुलित करना:*** एक जीवंत डिजिटल मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विनियमन और नवाचार के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।
- ***नवाचार को बढ़ावा देना:*** जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
- ***वैश्विक उदाहरणों से सीखना:*** डिजिटल मीडिया विनियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों का अध्ययन मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और स्थानीय नीति निर्णयों को सूचित कर सकता है।
    - ***सिंगापुर:*** पारंपरिक प्रसारक और ओटीटी सामग्री प्रदाता दोनों ही प्रसारण कानून के अंतर्गत आते हैं, जिसमें लाइसेंसिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन पारंपरिक टीवी सेवाओं की तुलना में कम दायित्व होते हैं।
        - ओटीटी विनियमन: ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को विनियमित करने के लिए सिंगापुर का दृष्टिकोण उद्योग के विकास के साथ विनियामक निरीक्षण को संतुलित करने का एक मॉडल प्रदान करता है।
    - ***संयुक्त राज्य अमेरिका:*** संघीय संचार आयोग (FCC) प्रसारण मीडिया को विनियमित करता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म संघीय स्तर पर काफी हद तक अनियमित हैं।

## अन्य खबरें

<table>
<tr><th>चर्चा का विषय</th><th>महत्वपूर्ण जानकारी</th></tr>
<tr><td>राष्ट्रीय तटीय योजना</td><td>
<ul>
<li><u>शुभारंभ:</u> 2014</li>
<li><u>इसके बारे में:</u> तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों, तटीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत परिकल्पित</li>
<li><u>घटक:</u>
<ul>
<li>मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियाँ के संरक्षण पर प्रबंधन कार्य योजना</li>
<li>समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में अनुसंधान और विकास</li>
<li>समुद्री पर्यावरण और सौंदर्य प्रबंधन सेवा के तहत समुद्र तटों का सतत विकास</li>
<li>समुद्र तट सफाई अभियान सहित समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण पर तटीय राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों का क्षमता निर्माण / आउटरीच कार्यक्रम।</li>
</ul></li>
<li><u>कार्यान्वयन एजेंसियाँ:</u> तटीय राज्यों की राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन।</li>
</ul></td></tr>
<tr><td>पोथुंडी बांध</td><td>
<ul>
<li><u>इसके बारे में:</u> पलक्कड़ से 42 किमी की दूरी पर नेल्लियामपथी पहाड़ियों की तलहटी में स्थित एक सिंचाई परियोजना।</li>
<li><u>उपयोग:</u> यह पलक्कड़ जिले में 5,470 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई और नेम्मारा, आयलुर और मेलारकोड पंचायत को पीने के पानी की आपूर्ति प्रदान करता है।</li>
<li><u>निर्माण:</u> 19वीं शताब्दी में निर्मित</li>
<li><u>महत्व:</u> एशिया का दूसरा बांध जिसके निर्माण के लिए सीमेंट मिश्रण का उपयोग नहीं किया गया है। इसे गुड़ और बिना बुझे चूने के मिश्रण का उपयोग करके बनाया गया है।</li>
<li><u>प्रवाह:</u> बांध आयिलुरपुझा (भरथप्पुझा उप सहायक नदी) के कैवयी पर बनाया गया है। मीनचैंडीपुझा और पडीपुझा इस जलाशय में बहती हैं।</li>
</ul></td></tr>
<tr><td>कवच</td><td>
<ul>
<li><u>सुर्खियों में क्यों -</u> भारतीय रेलवे 10,000 इंजनों को कवच 4.0 से लैस करने के लिए निविदाएँ जारी कर रहा है। यह स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली का नवीनतम संस्करण है।</li>
<li><u>इसके बारे में</u> - यह सुरक्षा अखंडता स्तर - 4 मानकों की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसमें त्रुटि की संभावना 10,000 वर्षों में 1 है।</li>
<li><u>विकसित -</u> भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (RDSO) द्वारा</li>
<li><u>मुख्य विशेषताएँ:</u>
<ul>
<li>ट्रेन की गतिविधियों की केंद्रीकृत लाइव निगरानी</li>
<li>खतरे में सिग्नल पासिंग की रोकथाम</li>
<li>ओवरस्पीडिंग की रोकथाम के लिए स्वचालित ब्रेकिंग</li>
</ul></li>
</ul></td></tr>
</table>

Samyak
An Institute For Civil Services

| | |
|---|---|
| **राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण** | • ***इसके बारे में*** - यह एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है, जो **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत उत्पन्न होने वाले नागरिक प्रकृति के कॉर्पोरेट विवादों से निपटने के लिए निगमित है।<br>• ***गठन*** - 1 जून 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत<br>• ***महत्व*** - इसकी स्थापना दिवालियेपन और कंपनियों के समापन से संबंधित कानून पर **बालकृष्ण एराडी** समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी।<br>• ***संरचना:*** इसमें एक अध्यक्ष और आवश्यकतानुसार न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की संख्या शामिल होगी।<br>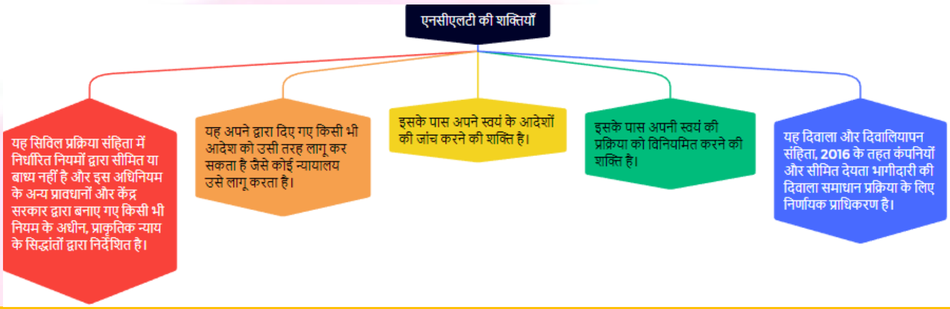<br> |
| **क्लाउडेड तेंदुआ** | • ***इस के बारे में:*** हिमालय के घने जंगलों में रहने वाली बिल्ली की प्रजाति जो मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया से दक्षिण चीन तक फैली हुई है।<br>• ***क्लाउडेड तेंदुओं की 2 प्रजातियाँ:*** क्लाउडेड तेंदुआ (नियोफेलिस नेबुलोसा) और सुंडा क्लाउडेड तेंदुआ (नियोफेलिस डायर्डी)।<br> <br>• ***वितरण:*** दक्षिणी चीन, भूटान, नेपाल, पूर्वोत्तर भारत, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस और बांग्लादेश।<br>• ***भारत में वितरण:*** सिक्किम, उत्तरी पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश।<br>• ***दिखावट:*** इसके कोट पर विशिष्ट 'बादल' होते हैं, जो आंशिक रूप से काले रंग के होते हैं, और अंदरूनी भाग खाल के पृष्ठभूमि रंग की तुलना में गहरे रंग के होते हैं।<br>• ***प्रकृति:*** एकांतप्रिय जानवर।<br>• ***IUCN रेड लिस्ट संरक्षण स्थिति:*** संकटग्रस्त |
| **छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व विकसित करेगी** | • ***सुर्खियों में क्यों*** छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह एक नया टाइगर रिजर्व जिसका नाम **गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व** स्थापित करेगी।<br>• ***स्थान:*** छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगा हुआ। |

| | |
|---|---|
| | • ***महत्व:* उदंती-सीतानदी, अचानकमार और** *इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में चौथा बाघ रिजर्व।*<br>• ***स्थापना:*** *गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभयारण्य के क्षेत्रों को एकीकृत करने के बाद बनाया गया।*<br>• ***जीव:*** *बाघ, तेंदुए, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िये, सुस्त भालू, भौंकने वाले हिरण, चिंकारा और चीतल।*<br>• ***नदियाँ:*** *हसदेव गोपद और बरंगा का उद्गम स्थल और नेउर, बीजाधुर, बनास, रेहंद आदि का जलग्रहण क्षेत्र।* |
| ***कैंडिडा ऑरिस (सी. ऑरिस)*** | • ***इसके बारे में:*** *एक कवक रोगज़नक़ जो अक्सर बहु-दवा-प्रतिरोधी होता है जो मानव शरीर में तेजी से संक्रमण पैदा करने में सक्षम होता है।*<br>• ***खतरा :*** *त्वचा संक्रमण से लेकर अधिक गंभीर, जीवन-घातक संक्रमण, जैसे रक्तप्रवाह संक्रमण, तक संक्रमण का कारण बन सकता है।*<br>• ***खोज:*** *पहली बार 2009 में जापान में पहचाना गया।*<br>• ***संचरण:*** *ऐसा माना जाता है कि यह दूषित सतहों के संपर्क में आने से या व्यक्ति-से-व्यक्ति में फैलता है।*<br>• ***लक्षण:*** *बुखार और ठंड लगना जो एंटीबायोटिक दवाओं से इलाज के बाद भी दूर नहीं होता।*<br>• ***मृत्यु दर:*** *30-60%*<br>• ***उपचार:*** *इचिनोकैंडिस नामक एंटिफंगल दवाएं। लेकिन कुछ सी. ऑरिस संक्रमण मुख्य प्रकार की एंटिफंगल दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होते हैं।* |

An Institute for Civil Services